

पत्रांक-10/न-21/07MA0-
मानव संसाधन विज्ञान विभाग, बिहार।

प्रेषक,

श्री कमलेश्वर प्रताप सिंह,
निदेशक [माध्यमिक शिक्षा], बिहार।

सेवा में,

श्री श्रीक गंगुली,
अध्यक्ष,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड,
शिक्षा भवन, 2 सम्मुखिणी सेक्टर,
नई दिल्ली-110092।

बटना, दिनांक- मार्च, 08।

विषय:- विज्ञानन्द केन्द्रीय विद्यालय, चनौर, सिवान, बिहार को अनापत्ति प्रमाण पत्र के संबंध में।

महाराज,

उपरोक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार सूचित करना है कि सरकारी अधिसूचना संख्या 238 दिनांक 3-4-2006 के आलोक में जिला शिक्षा पदाधिकारी, सिवान से प्राप्त जांच प्रतिवेदन एवं विद्यालय प्रबंधन के द्वारा उपलब्ध कराये गये कागजात की समीक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु गठित विभागीय समिति द्वारा की गई तथा विज्ञानन्द केन्द्रीय विद्यालय चनौर सिवान, बिहार को केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने की अनुमति की गयी है। समिति की अनुमति के आलोक में समीक्षोपरांत स्थिति निम्नवत् है:-

- 1- विद्यालय का संवाहन निर्बंधित करल स्कुलेजिन डेवेलपमेन्ट आर्गनाइजेशन द्वारा किया जा रहा है। तथा विद्यालय ने निर्बंधित तोताइटी में एक परिवार का प्रभुत्व न होने का प्रमाण पत्र समर्पित किया है। ग्रुप के सदस्यों की सूची दी गयी है, परंतु सभी का वेजा सामाजिक कार्यकर्ता बताया गया है। सामाजिक कार्यकर्ता एक सामान्य शब्द है। इससे वार्षिक व्यय का पता नहीं चलता है। अर्थात् के अनुसार विद्यालय के ग्रुप के प्रत्येक सदस्य के वार्षिक वेजा को स्पष्ट करना चाहिए। सदस्यों की सूची संलग्न है।
- 2- विद्यालय ने किसी निर्बंधित तोताइटी/न्यास के प्रेरणादायी अथवा किसी विद्यालय के हेड नेम उपयोग नहीं करने का दावा किया है।
- 3- विद्यालय को निर्बंधन के माध्यम से 2 एकड़ 07 डिगमिल भूमि 30 वर्षों के लीज पर उपलब्ध है, जिस पर केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, नई दिल्ली के मापदंड के अनुसार कमरे निर्गत है। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को स्थल

Kumari
Principal
Vigyanand Kendriya Vidyalaya
Chanur Siwan (Bihar)



निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करना होगा कि विद्यालय की आधारभूत संरचना एवं सुविधाएँ बोर्ड के मानक के अनुस्यू है ।

4- विद्यालय में शिक्षक की नियुक्ति समाचार पत्रों में विज्ञापन निकालकर विहित प्रक्रिया द्वारा करने की दावा की गयी है तथा शिक्षकों की नियुक्ति विहित प्रक्रिया के द्वारा किया गया है, परंतु ऐसा कोई ताक्ष्य नहीं दिया गया है, जिससे यह स्पष्ट हो कि नियुक्ति में विहित प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए पारदर्शिता बरती गयी हो। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को यह सुनिश्चित करना होगा कि शिक्षकों की योग्यता प्रशिक्षण राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के मापदण्डों के अनुस्यू है।

5- विद्यालय में हिन्दी अनिवार्य रूप से पढ़ाये जाने का दावा किया गया है ।

6- विद्यालय द्वारा निर्धारित शुल्कों, वार्षिक लेखा अभिलेख तथा वार्षिक प्रतिवेदन प्रतिवर्ष तार्किक करने का आश्वासन दिया गया है। अधिक विद्यालय अपने आश्वासन के अनुस्यू कार्रवाई करे हते केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, नई दिल्ली को सुनिश्चित करना होगा ।

7- विद्यालय के द्वारा लिखित रूप से सहमति दी गयी है कि उसे विभागीय अधिसूचना संख्या 238 दिनांक 3-4-2006 में उल्लेखित अर्थात् स्वीकार है। अर्थात् शर्तों के अनुसार:-

|| I || विद्यालय में क्षमता का 25 प्रतिशत नामांकन पड़ोत में निवास करने वाले परिवार के बच्चों का निःशुल्क किया जायेगा तथा उनके दायित्व शुल्क उधवा कितनी अन्य प्रकार का शुल्क नहीं किया जायेगा। ऐसे बच्चों की कक्षा में अनुस्यूित जाति, जन्माति, विश्वा धर्म, अन्य संकेतक, पितामह का लिखार तथा सामान्य कक्षा के परिवार जिनकी आय अधिकतम 60,000/-रुपया प्रतिवर्ष है ।

|| II || विद्यालय में नर्सरी/केजी0 उधवा प्राथमिक कक्षा में नामांकन के लिए कितनी तरह की प्रवेश परीक्षा/साक्षात्कार बच्चों एवं माता पिता सहित नहीं किया जायेगा। अगर नामांकन के लिए आवेदन निर्धारित क्षमता से अधिक हो तो कृपे तरीका से Drawlots के माध्यम से नामांकन के लिए बच्चों का चयन किया जायेगा ।

|| III || नर्सरी/केजी0 तथा प्राथमिक कक्षाओं के लिए प्रवेश लेने वाले बच्चों का विद्यालय से आवात की दुरी अधिकतम एक कि०मी० एवं उधवा प्राथमिक एवं माध्यमिक कक्षा में नामांकन हेतु अधिकतम दुरी 3 कि०मी० तक देगी। अर्थात् शर्तों को विद्यालय द्वारा मान्य किया गया है किन्तु इन संबंध में ताक्ष्य हेतु प्रमाण प्रस्तुत

Kumar
Principal
Vigyanand Kendriya Vidyalaya
Chanur Siwan (Bihar)



नहीं किया गया है।

|| IV || जिन तथ्यों का नामांकन नहीं होता है उन्से ली गई आवेदन शुल्क की राशि का 80 प्रतिशत राशि वापस लौटाने की व्यवस्था होगी।

8- यद्यपि कि विद्यालय का निरीक्षण विभागीय पदाधिकारियों के द्वारा किया गया है, फिर भी केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, नई दिल्ली अपने स्तर से जांच कर यह सुनिश्चित हों गें कि विद्यालय उनके निर्धारित मापदण्ड के आधार पर तैयार है।

9- ताब ही बोर्ड को यह सुनिश्चित करना होगा कि संबंधित विद्यालय के द्वारा अपनी सहमति के अनुसार अनिवार्य एवं अर्थात् अर्त्तो का अनुमोदन किया जा रहा है। स्कूल को यह अर्त्त तार्वज्जिक करनी होगा तथा इसका उत्प्रेषण को प्रोस्पेक्टस एवं वेबसाईट में करना होगा। अर्त्तों के उत्प्रेषण की स्थिति में उन्प्रारित प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा तथा सम्बन्धन रद्द करने की कार्रवाई की जायेगी।

10- विभागीय पत्रांक 46, दिनांक 18-1-2008 द्वारा शिक्षक/छात्रों को शारीरिक दण्ड नहीं दिए जाने संबंधी आदेशों का विद्यालयों द्वारा पालन करना होगा।

11- विद्यालय बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के नियंत्री पदाधिकारी के द्वारा निरीक्षण हेतु कितनी भी समय बुना रहेगा।

12- उपरोक्त तथ्यों के आलोक में तथा वर्णित अर्त्तों के आधार पर तथा विज्ञानन्द केन्द्रीय विद्यालय, चनौर सिवान, बिहार को केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, नई दिल्ली से सम्बन्धता हेतु उन्प्रारित दी जाती है।

प्रियातशोचन,

ह/—

|| कमलेश्वर प्रसाद सिंह ||

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा।

जापांक-

348

पटना, दिनांक-

20 मार्च, 08

।

प्रतिलिपि विज्ञानन्द केन्द्रीय विद्यालय, चनौर सिवान, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्याधी प्रेषित।

20/3

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा।

20/3/08



Kumar
Principal
Vignyanand Kendriya Vidyalaya
Chanaur Siwan (Bihar)